Statement

CMP 4483/92

HCD—1.

IN THE HIGH COURT OF DELHI
Appellate Civil Jurisdiction

CW No. 2398/92 OF

PETITIONER

JOINT ACTION COMMITTEE
VS
U. O. I. & Ors. RESPONDENT

Sr. No. Date	Orders
13-7-92	Present: Ms. Kamini Lao with Ms. Vasu Data and Mr. Ajay Gupta for the petitioner.

C.W. **2398/92:**

Notice to show cause as to why ruling be not issued, returnable on 16 July, 1992

C.M. **4483/92:**

Notice for 16 July 1992. Meanwhile, results of the Civil Services (Preliminary) Examination, 1992, shall not be declared. Dasti as well.

13 July 1992

THE SEAL OF THE HIGH COURT OF DELHI

Sd/—
D.P. Wadhwa

Sd/—
R.L. Gupta

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की संख्या

3232. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण हैं;

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नामों का ब्यौरा क्या है और कितने अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ; और

(ग) इस समय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कितने पद रिक्त हैं और उन व्यक्तियों के नामों का ब्यौरा क्या है इन पदों को भरने के लिए जिनके नामों पर विचार किया जा रहा है तथा उनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) :

(क) इस समय देश में 17 स्थानों पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 33 न्यायपीठें काम कर रही हैं ।

(ख) अध्यक्ष का केवल एक पद है तथा डिप्टी चेयरमैन का कोई भी पद नहीं है । तथापि विभिन्न न्यायपीठों में उपाध्यक्षों के 16 पद हैं । अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) अध्यक्ष का जो एकमात्र पद है वह खाली नहीं है । इस समय उपाध्यक्षों के तीन पद खाली हैं। उपाध्यक्षों के खाली पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

विवरण

न्यायपीठ का नाम	अध्यक्ष	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का है ।	उपाध्यक्ष	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का है ।
			सर्वश्री	
नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ	न्यायमूर्ति श्री बी० एस० मालीमत	जी, नहीं	पी० के० कार्था	जी, नहीं
			न्यायमूर्ति रामपाल सिंह	जी, नहीं
अहमदाबाद			एन० बी० कृष्णन	जी, नहीं
इलाहाबाद			न्यायमूर्ति यू० सी० श्रीवास्तव	जी, नहीं
बंगलौर			रिक्त	
बम्बई			न्यायमूर्ति श्याम किशन धाव	जी नहीं
कलकत्ता			रिक्त	
चण्डीगढ़			डी० एस० सेखों	जी, नहीं
गुवाहाटी			न्यायमूर्ति एस० हक	जी, नहीं
कटक			के० पी० आचार्य	जी, नहीं
हैदराबाद			रिक्त	
जबलपुर			डी० के० अग्रवाल	जी, नहीं
पटना			न्यायमूर्ति बी० पी० सिन्हा	जी, नहीं
मद्रास			न्यायमूर्ति डेविड एनोसामी	जी, नहीं
एर्नाकुलम			एस० पी० मुखर्जी	जी, नहीं
जोधपुर			न्यायमूर्ति डी० एल० मेहता	जी, नहीं